NATIONAL FERTILIZERS LIMITED
CORPORATE OFFICE: HR DEPARTMENT

Ref: NFL/CO/HR/MED/PRMS-2025-26/Portal/4 Date: 27.03.2025

C I R C U L A R

Sub: Post-Retirement Medical Scheme for the year 2025-26

Post-Retirement Medical Scheme for the year 2025-26 has been finalized & the PRMS portal for renewal of membership has also been opened.

All eligible retired employees of the Company, who wish to be member of the PRMS 2025-26, may apply for their membership as detailed below:

1. FOR EXISTING PRMS MEMBERS- Existing PRMS members can login and make payment via the PRMS Portal by following steps as mentioned in Annexure –I (Part A).

2. FOR NEW MEMBERS- Eligible ex-employees who are not members of the Scheme and wish to opt for the membership of PRMS, 2025-26 may apply for their membership by following steps as mentioned at Annexure-I (Part B).

Following officers, appointed as Nodal Officers at each Unit/Office, shall coordinate the activities related to the Scheme:-

CO/MKTG	Vijaipur	Bathinda	Nangal	Panipat
Dr. Preeti Singh Manager (HR)	Sh. Om Prakash Mishra D.M.(HR)	Sh. Rohtash Kumar, AM (HR),	Mrs. Meera Devi, A.M. (HR)	Sh. Arun Shukla A.M. (HR)
7876768458 prms@nfl.co.in	7898237022 omprakashmishra@nfl.co.in	9779782937 rohtas@nfl.co.in	9463652976 medical.ngl@nfl.co.in	9670066002 ashukla@nfl.co.in

The last date for applying for membership on PRMS portal is 06.04.2025 unless extended.

Please note that no request for membership after the last date i.e, 06.04.2025 will be entertained. Further, no other mode of application for membership except through PRMS Portal shall be considered. All eligible interested members are, therefore, advised to apply for membership through PRMS Portal only.

The category, Insurance Cover & premium to be paid are as follows:

Group	Level	Insurance Cover*	Room Entitlement	Premium Payable	OPD Limit**
A	All Workmen (W0-W12)	Rs. 5.00 Lakh	Semi Private/Twin sharing	Rs. 500/-	Rs. 12,000/-
B	Executives (E0-E5)	Rs. 7.50 Lakh	Single Private	Rs. 1,000/-	Rs.16,500/-
C	Executives (E6-E9)	Rs. 10.00 Lakh	Single Deluxe	Rs. 1,500/-	Rs.20,000/-
D	Functional Directors/ C& MD	Rs. 12.50 Lakh	Actuals/ Super Deluxe	Rs. 2,000/-	Rs.25,000/-

* A floater of amount of Rs. 1.00 Crore over and above the sum insured. This will be utilized for all categories of employees and expenditure of treatment to be incurred from this floater shall be limited to Rs. 1.00 Lakh per member (this includes self and spouse) on first come first serve basis.

**One annual health check-up within a monetary ceiling of Rs. 2,500/- per person.

The Salient Features of the Post-Retirement Medical Scheme, 2025-26 and other information can be viewed on PRMS portal at https://prms.nfl.co.in .

In case of any query or assistance member may click on **"Contact Us"** Tab available on PRMS Portal by mentioning his/her employee number, e-mail address, contact number and submit to the PRMS Admin. For detailed instructions, please refer Annexure-I attached to this Circular.

Hindi version follows

.

(KUMAR KUSH)
Sr. Manager (HR)

Annexure-I

PART-A

Existing PRMS members can login and make payment via PRMS Portal by taking following steps:-

1. Visit NFL's website www.nationalfertilizers.com>>>>Click on "Retired Employee Desk" or type https://prms.nfl.co.in/login.php in URL.
2. Login by entering registered mobile number.
3. OTP shall be generated and will be received on the registered mobile number and also on the email of the member.
4. Enter the OTP to login.
5. Members will be able to view their dashboard, wherein they shall click on "Manage Memberships". After this the member will click on "Request Policy" to apply for renewal of their PRMS membership.
6. Members shall choose from the drop down list; whether the membership is for Self or Self and Spouse.
7. After choosing option from the drop down list, members will upload their existence/life certificate and click on "Apply Membership" button (note: amount of premium shall automatically appear).
8. Click on "Pay Now" button for making the payment.
9. A new window will appear where in member may scan the QR code or select other payment option (UPI/Net Banking/Debit/Credit card/Wallet) for making the payment.

PART B

Eligible ex-employees who are not members of the Scheme and wish to opt for the membership of PRMS, 2025-26 may apply for their membership by following below procedure:-

1. The eligible ex- employees shall submit their duly filled Application Form 'B' (enclosed with this circular) to the Nodal Officer of the Unit/Office from where they have retired through email.
2. The concerned Nodal Officer shall share the details of such ex-employees to Corporate Office for further processing.
3. As soon as the ex-employee is registered as "User", he/she will receive the information on his/her phone number and e-mail address for login and to make the payment. After login by the user, he/she will be directed to the payment gateway, where he/she can pay his/her premium amount by using the Debit Card/ Credit Card/ UPI/ Net banking/ Wallet or scanning the QR code. Once the payment of premium has been received by NFL he/she will become Member.

****

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
कॉरपोरेट कार्यालय : मानव संसाधन विभाग

संख्या: एनएफएल/कॉ.का./मा.सं./मैडि./पीआरएमएस-2025-26/पोर्टल/4 दिनांक:27.03.2025

परिपत्र

विषयः <u>वर्ष 2025-26 के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना</u>

वर्ष 2025-26 के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (PRMS) को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसकी सदस्यता के नवीनीकरण के लिए पीआरएमएस पोर्टल भी खोल दिया गया है।

कंपनी के सभी पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो पीआरएमएस 2025-26 के सदस्य बनना चाहते हैं, वे अपनी सदस्यता के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन कर सकते हैं:

1. **<u>मौजूदा पीआरएमएस सदस्यों के लिए</u>**- मौजूदा पीआरएमएस सदस्य अनुबंध-। (भाग ए) में उल्लिखित चरणों का पालन करके पीआरएमएस पोर्टल के माध्यम से लॉगिन और भुगतान कर सकते हैं।

2. **<u>नए सदस्यों के लिए</u>**- योग्य पूर्व कर्मचारी जो योजना के सदस्य नहीं हैं और पीआरएमएस, 2025-26 की सदस्यता का विकल्प चुनना चाहते हैं, वे अनुबंध- । (भाग बी) में उल्लिखित चरणों का पालन करके अपनी सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

योजना से संबंधित गतिविधियों के संयोजन के लिए प्रत्येक इकाई/कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है :-

कॉर.कार्य / विपणन	**विजयपुर**	**बठिण्डा**	**नंगल**	**पानीपत**
डॉ. प्रीति सिंह प्रब (मा.सं.)	श्री ओम प्रकाश मिश्रा उप.प्रब (मा.सं.)	श्री रोहताश कुमार सहा.प्रब.(समन्वय)	सुश्री मीरा देवी सहा.प्रब.(मा.सं.)	श्री अरुण शुक्ला सहा.प्रब.(मा.सं.)
7876768458 prms@nfl.co.in	7898237022 omprakashmishra@nfl.co.in	9779782937 rohtas@nfl.co.in	9463652976 medical.ngl@nfl.co.in	9670066002 ashukla@nfl.co.in

पीआरएमएस पोर्टल पर सदस्यता के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि **06.04.2025** है जब तक कि इसे बढ़ाया न जाए।

कृपया ध्यान दें कि अंतिम तिथि यानी 06.04.2025 के बाद सदस्यता के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, पीआरएमएस पोर्टल के अलावा सदस्यता के लिए आवेदन के किसी अन्य तरीके पर विचार नहीं किया जाएगा। अत: सभी पात्र सदस्यों को केवल पीआरएमएस पोर्टल के माध्यम से सदस्यता के लिए सलाह दी जाती है।

सदस्यों की श्रेणी, बीमा कवर और भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम निम्न प्रकार से है :

श्रेणी	स्तर	बीमा कवर	कमरे की पात्रता	प्रीमियम भुगतान	ओपीडी लिमिट
A	सभी कामगार (W0-W12)	₹ 5.00 लाख	सेमी प्राइवेट/ट्विन शेयरिंग	₹ 500/-	₹ 12,000/-
B	अधिकारी वर्ग (E0-E5)	₹ 7.50 लाख	सिंगल प्राइवेट	₹ 1,000/-	₹ 16,500/-
C	अधिकारी वर्ग (E6-E9)	₹10.00 लाख	सिंगल डीलक्स	₹ 1,500/-	₹ 20,000/-
D	कार्या.निदेशक / सी एंड एमडी	₹12.50 लाख	वास्तविक / सुपर डीलक्स	₹ 2,000/-	₹ 25,000/-

पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम, 2025-26 की मुख्य विशेषताएं और अन्य जानकारी पीआरएमएस पोर्टल https://prms.nfl.co.in पर देखी जा सकती है ।

किसी भी प्रश्न या सहायता के मामले में सदस्य, पीआरएमएस पोर्टल पर उपलब्ध "Contact Us" टैब पर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें उनके कर्मचारी नंबर, ई-मेल पता, संपर्क नंबर का उल्लेख किया जा सकता है और पीआरएमएस एडमिन को जमा किया जा सकता है। विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया इस परिपत्र के साथ संलग्न अनुबंध-। देखें।

(कुमार कुश)
वरि.प्रबंधक (मा.सं.)

अनुबंध- I

(भाग ए)

वर्तमान पीआरएमएस सदस्य निम्नलिखित कदमों को उठाकर पीआरएमएस पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करसकते हैं और भुगतान कर सकते हैं:-

1. एनएफएल की वेबसाइट www.nationalfertilizers.com>>>>"Retired Employee Desk" पर क्लिक करें या यूआरएल में https://prms.nfl.co.in/login.php टाइप करें।
2. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर लॉगइन करें।
3. ओटीपी जनरेट होगा और यह सदस्य के पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा ईमेल पर भी प्राप्त होगा।
4. लॉगिन करने के लिए ओटीपी दर्ज करें ।
5. सदस्य अपने डैशबोर्ड को देखने में सक्षम होंगे, जिसमें वे "Manage Memberships" पर क्लिक करेंगे । इसके बाद सदस्य अपनी PRMS सदस्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए “Request Policy" पर क्लिक करेंगे।
6. सदस्य ड्रॉप डाउन सूची से चुनेंगे ; चाहे सदस्यता स्वयं के लिए हो या स्वयं और पति/पत्नी के लिए।
7. ड्रॉप डाउन सूची से विकल्प चुनने के बाद, सदस्य अपने अस्तित्व/जीवन प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे और "Apply Membership" बटन पर क्लिक करेंगे (ध्यान दें: प्रीमियम की राशि स्वचालित रूप से दिखाई देगी)।
8. भुगतान करने के लिए "Pay Now" बटन पर क्लिक करें।
9. एक नई विंडो दिखाई देगी जहां सदस्य भुगतान करने के लिए QR Code को स्कैन कर सकते हैं या अन्य भुगतान विकल्प (UPI/ नेट बैंकिंग/ डेबिट/ क्रेडिट कार्ड/ वॉलेट) का चयन कर सकते हैं।

(भाग बी)

पात्र पूर्व कर्मचारी, जो योजना के सदस्य नहीं हैं और पीआरएमएस 2025-26 की सदस्यता का विकल्प चुनना चाहते हैं, वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपनी सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं:-

1. पात्र पूर्व कर्मचारी अपना विधिवत भरा हुआ आवेदन प्रपत्र 'बी' (इस परिपत्र के साथ संलग्न) उस इकाई/ कार्यालय के नोडल अधिकारी को ईमेल के माध्यम से जमा करेंगे, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं।
2. संबंधित नोडल अधिकारी आगामी प्रक्रिया के लिए ऐसे पूर्व कर्मचारियों का विवरण कारपोरेट कार्यालय के साथ साझा करेंगे ।
3. जैसे ही पूर्व कर्मचारी "User" के रूप में पंजीकृत होता है, उसे लॉगिन और भुगतान करने के लिए अपने फोन नंबर और ई-मेल पते पर जानकारी प्राप्त होगी । उपयोगकर्ता द्वारा लॉगिन करने के बाद, उसे भुगतान गेटवे पर निर्देशित किया जाएगा, जहां वह डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / यूपीआई / नेट बैंकिंग/ वॉलेट का उपयोग करके या QR Code को स्कैन करके अपनी प्रीमियम राशि (Premium Amount) का भुगतान कर सकता/सकती है। एक बार एनएफएल द्वारा प्रीमियम का भुगतान प्राप्त हो जाने के बाद वह सदस्य बन जाएगा ।

****